

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, छ0ग0

आदेश

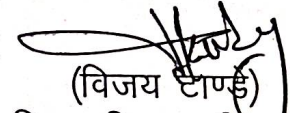
क्रमांक / 10804 / शिकायत-जांच / 2025-26

बिलासपुर, दिनांक 10.09.2025.

आवेदक श्री संतोष कुमार साहू, सहायक शिक्षक, शा0प्रा0शा0खपरी वि0ख0मस्तूरी जिला बिलासपुर के द्वारा लिखित शिकायत चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान नहीं होने व एवज में कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी के प्रभारी लिपिक श्री सी0एस0नोरके द्वारा पैसे की मांग किये जाने के संबंध में इस कार्यालय के कार्यालयीन पत्र क्रं. 9780 दिनांक 13.08.2025 द्वारा संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्राप्त शिकायत के संबंध में जवाब चाहा गया। उक्त संबंध में श्री नोरके सहायक ग्रेड-2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.08.2025 का परीक्षण किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। साथ ही उक्त प्रकरण पर शिकायतकर्ता से श्री सी0एस0नोरके सहायक ग्रेड-2 का पैसे के लेने-देन का आडियो भी मिडिया में प्रसारित हो चुका है। जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार दिनांक 10.09.2025 में भी हुआ है, जिससे विभाग की छवि धुमिल हुई है।

श्री सी0एस0नोरके, सहायक ग्रेड-2 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी का उपरोक्तानुसार कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री नोरके सहायक ग्रेड-2 का मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शा0उ0मा0शा0पचपेड़ी वि0ख0मस्तूरी में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव-शील होगा।


(विजय टाण्डे)

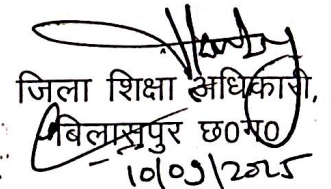
जिला शिक्षा अधिकारी,
बिलासपुर छ0ग0

पृ0 क्रमांक / 10805 / शिकायत-जांच / 2025-26

बिलासपुर, दिनांक 10.09.2025.

प्रतिलिपि-

- 1/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इदावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2/ कलेक्टर बिलासपुर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3/ संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5/ प्राचार्य शा0उ0मा0शा0पचपेड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7/ संबंधित श्री सी0एस0नोरके सहा0ग्रे0 2 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी,
बिलासपुर छ0ग0
10/09/2025